न्यायालय उपजिलाधिकारी जलालपुर, अम्बेडकर नगर।

मुकदमा राजेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार सिंह
बनाम- गांवसभा
मौजा कन्नूपुर परगना अकबरपुर
तहसील जलालपुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
वाद संख्या-22
अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम।

निर्णय

प्रस्तुत वाद में राजेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार सिंह पुत्रगण शेरबहादुर सिंह निवासीगण कन्नूपुर पर0 अकबरपुर तह0 जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधिनियम के बाबत गाटा संख्या-376/2.196 हे0 स्थित ग्राम कन्नूपुर पर0 अकबरपुर तहसील जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर इस आशय का दिया गया है कि उपरोक्त गाटे का प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर है 0.0810हे0 पर भवन निर्मित है। उपरोक्त भूभाग का प्रयोग कृषि कार्य के प्रयोजन हेतु नहीं हो रहा है अन्त में अकृषिक घोषित करने की याचना की गयी है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार जलालपुर से आख्या मांगी गयी। नायब तहसीलदार जलालपुर द्वारा प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 1-1-13 में रा0 निरीक्षक की आख्या को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है। रा0नि0 जलालपुर की आख्या में यह दर्शाया गया है कि गाटा सं0 376/2.196हे0 राजेश कुमार सिंह बृजेश कुमार सिंह पुत्रगण श्रीशेर बहादुर सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है जिस पर 0.0810हे0 पर भवन निर्मित है। उपरोक्त भूखण्ड पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है अकृषिक घोषित करने की आख्या दी गयी है। मेरे द्वारा उक्त आख्या का अवलोकन किया गया है एवं पत्रावली का परीक्षण किया गया जिससे स्पष्ट है कि - उपरोक्त भूखण्ड अकृषिक घोषित करने योग्य है।

आदेश

राजेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार सिंह पुत्र श्रीशेरबहादुर सिंह निवासी ग्राम के नाम अंकित गाटा सं0 376/0.0810हे0 स्थित ग्राम कन्नूपुर अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमल दरामद जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।